**फर्द अहकाम**

**न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं**

**कल्ला बनाम गणपत वगै0**

**मा संख्या :– 22/2020** 2020/00229

| क | आज्ञा – पत्र |
|---|---|
| 2020 | |

## प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 सीपीसी बाबत विरासत के आधार पर फौती नामान्तकरण खोले जाने की अनुमति दिये जाने हेतु

## आदेश

दिनांकः– 20.08.2020

प्रार्थी शंकरलाल पुत्र भग्गूराम की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उनवानी प्रकरण वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 83/2014 न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया था जिसमें दिनांक 29.10.2014 को विवादित भूमि आराजी ग्राम कीरतसिंह का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत उभयपक्षकारान को पाबन्द किया गया था। जिसके उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकारान को सुनकर न्याय आपके द्वार, कैम्प कोर्ट ग्राम गुडलिया में दिनांक 10.06.2016 को मूल वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा दिनांक 29.10.2014 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। उक्त उनवानी में अप्रार्थी संख्या 5 भग्गूराम जाट पुत्र लक्ष्मणराम का स्वर्गवास दिनांक 08.10.2019 को हो चुका है, जिसका अप्रार्थी विधिक वारिस है। जिसका फौती नामान्तकरण खुलवाना न्यायहित में आवश्यक है।

मिन प्रतिवादीगण द्वारा विरासत से प्राप्त अपने पिता के हिस्से की भूमि तथा विरासत के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने बाबत संबंधित पटवारी हल्का को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तो संबंधित पटवारी हल्का ने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि न्यायालय से अनुमति के बिना स्थगन आदेश में इस विरासत के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोल सकते हैं। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का [illegible] किया जा रहा है [illegible] मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है क्यों[illegible] पिता[illegible] हिस्से की भूमि पर पिता के समय से ही प्रार्थी काबिज है जिस कारण [illegible] प्रकरण में विरासत का नामान्तकरण दर्ज किए जाने से किसी [illegible] को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रकरण की वर्तमान स्थिति पर को[illegible]परीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रार्थी शंकरलाल द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण संख्या 83/2014 उनवानी कल्ला बनाम गणपत व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 10.06.2016 के प्रभावी रहने के दौरान प्रार्थी व उसके पिता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:40:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

विरासत का नामान्तकरण दर्ज किये जाने की अनुमति दिये जाने की कृपा करें।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र की नकल दी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी से जवाब तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नो ओब्जेक्शन प्लीड किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी शंकरलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर अपने पिता स्व0 श्री भग्गूराम की मृत्यु हो जाने के उपरान्त विरासत का नामान्तकरण खुलवाने का निवेदन किया गया व साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। फौती नामान्तकरण से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रार्थी शंकरलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी शंकरलाल के पिता अप्रार्थी संख्या 5 भग्गूराम जाट पुत्र लक्ष्मणराम का विरासत का नामान्तकरण पर दिनांक 10.06.2016 को इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा में छूट प्रदान की जाती है। शेष मूल आदेश यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
चौमूँ

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:40:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner